तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...-16	वकील उभयपक्ष उपस्थित वास्ते जवाब प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 6 व 7 पत्रावली 14-12-16 को पेश हो।	
14-12-16	वकील उभयपक्ष उपस्थित वकील अप्रार्थी जवाब प्रा० पत्र पेश नहीं करना चाहते अतः जवाब प्रा०पत्र बन्द किया जाता है वास्ते बहस प्रा० पत्र पत्रावली दिनांक 28-12-16 को पेश हो।	
28-12-16	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी अवकाश पर ~~राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते हैं।~~ ~~अन्य कार्य में व्यस्त~~ हैं। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 8-2-17 को पेश हो।	
8-2-17	वकील उभयपक्ष उपस्थित वास्ते बहस प्रा.पत्र अवसर चाहा गया वास्ते बहस प्रा० पत्र पत्रावली दिनांक 2-3-17 को पेश हो।	
2-3-17	वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस प्रा०पत्र सुनी गई वास्ते आदेश पत्रावली 8-3-17 को पेश हो।	
8-3-17	मोहनलाल बनाम महावीर वगैरह निर्णय प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर पूर्व पेशी पर एक पक्षीय बहस सुनी गयी प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रा० पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की चरण सं० 2	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	मे वर्णित कृषि भूमि उभयपक्षकारान की पैतृक सम्पति है। जिसमे गोवरया व शंकर का 1/2 1/2 हिस्सा था शंकर की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी धाना का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर दिया लेकिन उसकी पुत्रीया गंगाबाई व कस्तुरीबाई का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही किया गया शंकर की पुत्रीया शंकर की आराजी की सह हिस्सेदार है। लेकिन अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 व 11 लडाकू प्रवृति के व्यक्ति है और प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे दखल करते है इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन आवश्यक है।	
	हमारे द्वारा प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की ओर से अधिकार घोषणा का वाद-पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है जिसमें विधि प्रश्न निहित होने से दावे मे उभय पक्षकारान की साक्ष्य के उपरान्त विधिवत निर्णय किया जाना शेष है। न्यायालय के मतानुसार मूलदावे के अन्तिम निर्णय तक प्रार्थना पत्र की चरण संख्या दो मे वर्णित आराजी को सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है	
	उपरोक्त तथ्यो को मद्धे नजर रखते हुए प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया साबित होना उचित प्रतीत होता है। साथ ही यदि अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा दिलाने बाबत पाबन्द नही किया गया तो अप्रार्थीगण की अपेक्षा अधिक क्षति प्रार्थीगण को होगी इस प्रकार क्षति का सुविधा	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में होना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को तार्फैसला मूल वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि खाता संख्या 28 वाके धारावन में वाकेत खसरा नम्बरान कुल खसरा किता 10 कुल रकबा 6.46 हैक्टर में निहित प्रार्थीगण का हिस्सा 1/4 पर प्रार्थीगण को काश्त करने से रोके एव प्रार्थीगण को अनाधिकृत रूप से बेदखल कर कब्जा नही करे। ऐसा न तो स्वयं करे न अन्य किसी प्रतिनिधि से नही करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर सलंग्न मूल वाद रहे। आदेश आज दिनांक 8-3-2017 को लिखवाया जाकर सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	